न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 207/2020(2020/00294)

अनवान : —

1. चन्दशेखर पुत्र पवन कुमार जाति ब्राह्मण निवासी झांसल तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र आशाराम जाति ब्राह्मण निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. एस.बी.आई. बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा छानीबड़ी तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53—188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री धर्मपाल बेरवाल वादी
श्री सतवीर बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः 18/02/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 जेएसएल के वर्तमान खाता सं 116/115 के मु0न0 14 किला न0 1 की 0.253 हैक्टेयर नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, किला न0 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की 0.253 है0 इस प्रकार कुल किता 5 की कुल 1.265 हैक्टेयर नहरी 1.2400 है0 खाला 0.025 है0 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की मुश्तर्का खाता की कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहता है जिसके लिए उसे केसीसी ऋण आदि की आवश्कता रहती है। इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वाद भूमि के सभी खातेदारान दावा में पक्षकार है तथा उन्होंने अपनी खातेदारी का विभाजन चाहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:23:10 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र में वादी ने प्रतिवादी स्टेट के खिलाफ केवल खाता विभाजन का अनुतोष चाहा है। स्टेट ने अपना जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्यवादी में वादी चन्दशेखर पुत्र पवनकुमार जाति ब्राह्मण निवासी झांसल तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। दस्तावेज साक्ष्य में वादी द्वारा नजरी नक्शा चक 2 जेएसएल प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 2 जेएसएल सम्वत 2072—75 खाता संख्या 116/115 प्रदर्श 2,

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

नजरी नक्शा चक 2 जेएसएल प्रदर्श 3 व 4 है। प्रदर्श 3 व 4 पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर है जिसे राजस्व पटवारी पटवार हल्का झांसल द्वारा तैयार किया गया है।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, चूंकि पक्षकारान का वाहमी राजीनामा हो चुका है और हल्का पटवारी द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव पत्रावली में प्रदर्श करवाये गये है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार ही पक्षकारान विभाजन करवाने पर सहमत है। इसलिए प्राथमिक डिक्री किये जाने की आवश्यकता नही है और मुताबिक विभाजन प्रस्ताव व राजीनामा अन्तिम डिक्री की जानी न्यायोचित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि निम्नानुसार खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किया जावें। उसमें से

राधेश्याम पुत्र आसाराम जाति ब्राह्मण निवासी झांसल – चक 2 जेएसएल के मु0 न0 14 के किला न0 1 की 0.253 है0 जिसमें नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, किला न0 10 की 0.253 है0 नहरी, किला न0 11 की 0.110 है0 नहरी कुल किता 3 की कुल 0.616 हैक्टेयर नहरी 0.591 है0 खाला 0.025 है0

चन्द्रशेखर पुत्र पवन कुमार जाति ब्राह्मण निवासी झांसल – चक 2 जेएसएल के मु0 न0 14 के किला न0 11 की 0.143 है0 नहरी 0.135 है0 रास्ता 0.008 है0, किला न0 20 की 0. 253 है0 नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0, किला न0 21 की 0.253 है0 नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.012 है कुल किता 3 की कुल 0.649 है0 नहरी 0.616 है0 रास्ता 0.033 है0

इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खाता अलग अलग दर्ज कर रास्ता आदि का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। वादी भूमि जो बैंक के रहन है उनके हिस्सा पर रहन नामा यथावत रखते हुए राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/02/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala IAS
Date: 2021.09.24 10:23:10 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) RAS
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़